



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 जनवरी 2015—पौष 25, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2015

क्र. एफ-ए-03-34-2010-1-पांच (02).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20, सन् 2002) की धारा 20 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-34-2010-1-पांच (65) दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना में अंक तथा शब्द “15 जनवरी, 2015” एवं “31 जनवरी, 2015” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “28 फरवरी, 2015” एवं “30 अप्रैल, 2015” स्थापित किए जाएः

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2015

क्र. एफ-ए-03-34-2010-1-पांच (02).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-34-2010-1-पांच (02), दिनांक 15 जनवरी, 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 15<sup>th</sup> January 2015

No. F-A-3-34-2010-1-V (02).—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. F-A-3-34-2010-1-V (65), dated 31st December 2014, namely:—

#### AMENDMENT

In the said Notification, for the figure and word “15th January, 2015” and “31st January, 2015”, the figure and word “28th February, 2015” and “30th April, 2015” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.